## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 51/2018

1. जीवण पुत्र लक्ष्मण, जाति नायक, निवासी ढाणी पुरोहितान तन खाजपुर नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. नाथा पुत्र लक्ष्मण, जाति नायक, निवासी ढाणी पुरोहितान तन खाजपुर नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. लाला पुत्र लक्ष्मण, जाति नायक, निवासी ढाणी पुरोहितान तन खाजपुर नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

**बनाम**

1. हणमानसिंह पुत्र इन्द्राज सिंह बराला जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. बसेसर पुत्र मोतीलाल कुलहरी जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. नेमीचन्द पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. मनीराम पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. प्रहलाद पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. हरलालसिंह पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. प्यारेलाल पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. श्योदान सिंह पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. ख्यालीराम पुत्र मेदाराम कुलहरी जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. भानाराम पुत्र ताराचन्द बिशु (मृतक) जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

    10/1 सारली देवी पत्नी भानाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

    10/2 सुनिल पुत्र भानाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

    10/3 महेन्द्र पुत्र भानाराम जाति जाट, निवासीगण ढाणी पुरोहितो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

    10/4 सुमित्रा पुत्री भानाराम पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तन टीटनवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

    10/5 राजबाला पुत्री भानाराम पत्नी दाताराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तन टीटनवाड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

    10/6 भागोती पुत्री भानाराम पत्नी रामावतार, जाति जाट, निवासी महरमपुर, तहसील चिडावा जिला
    झुंझुनूं।
11. रिछपाल बिशु पुत्र ज्ञानाराम बिशु जाति जाट, निवासी ढाणी पुरोहितान की, पटवार हल्का खाजपुर

नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।

12. भुगानाराम पुत्र ज्ञानाराम बिशु जाति जाट, निवासी ढाणी पुरोहितान की, पटवार हल्का खाजपुर नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. रामकिशन पुत्र मेदाराम जाति जाट, निवासी ढाणी पुरोहितान की, पटवार हल्का खाजपुर नया, तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनूं उनवानी जीवण आदि बनाम हणमान वगैरह मु0नं0 02/15 दिनांक 24.08.2017 अः धारा 183 बी राज0 काश्त0 अधि0

——

उपस्थितः—

1. श्री कायम सिंह, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट—रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 9 व 13 की ओर से।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट सं0 14 की ओर से।

## आदेश

दिनांक 22.12.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 24.08.2017 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्टगण की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 24.08.2017 कानून व विरूद्ध पत्रावली है। अपीलान्टगण की जमीन खसरा नम्बर 84 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टर वाके ग्राम पुरोहितान की पटवार हल्का खाजपुर नया तहसील व जिला झुंझुनूं में अवस्थित है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 ने अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। रेस्पोडेन्टगण नं0 1 लगायत 13 ने उक्त भूमि पर 50—55 साल पुराने मकान होना बताया है और रेस्पोडेन्ट का कब्जा आर.टी.एक्ट 183बी लागू होने से पूर्व का बताया है तथा अनावेदकगण को सन् 1985, 1986, 1990, 1991, 1992 एवं 1996 को विक्रय लिखावटों के द्वारा प्लाटों के रूप में विक्रय किया गया है रेस्पोडेन्ट एक तरफ तो 50—55 साल पूर्व का कब्जा होना बता रहे है तथा दूसरी तरह 1985 से लेकर 1996 तक उक्त प्लॉट खरीदने बता रहे है। इससे स्वयं ही साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा आर.टी.एक्ट. 183बी लागू होने के बाद का है इस पर गौर नही किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 का उक्त भूमि पर सहमति पूर्वक 20 वर्ष पुराना कब्जा माना गया है तथा रेस्पोडेन्ट को 12 वर्ष से अधिक समय इस भूमि पर काबिज होना माना है जबकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को 2006 में गांव से निकालने के बाद ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा किया है इस पर गौर नही किया है। अपीलान्टस नायक जाति के व्यक्ति होने के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है रेस्पोडेन्टगण ने बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के पक्का निर्माण कार्य कर अपीलान्ट की बिना इजाजत के अवैध अतिक्रमण कर लिया है रेस्पोडेन्टगण जाट जाति के होने के कारण स्वर्ण जाति के है तथा अपना अपीलान्ट अनुसूचित जाति के है कानूनन अगर कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अनुसुचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर बिना अनुसूचित जाति के व्यक्ति की इजाजत के बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के जबरदस्ती अवैध रूप से

अतिक्रमण कर लेता है तो उस स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति की जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए इस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 24.08.2017 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण की जमीन खसरा नम्बर 84 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टर वाके ग्राम पुरोहितान की पटवार हल्का खाजपुर नया तहसील व जिला झुंझुनूं में अवस्थित है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 ने अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। रेस्पोडेन्टगण नं0 1 लगायत 13 ने उक्त भूमि पर 50–55 साल पुराने मकान होना बताया है और रेस्पोडेन्ट का कब्जा आर.टी.एक्ट 183बी लागू होने से पूर्व का बताया है तथा अनावेदकगण को सन् 1985, 1986, 1990, 1991, 1992 एवं 1996 को विक्रय लिखावटों के द्वारा प्लाटों के रूप में विक्रय किया गया है रेस्पोडेन्ट एक तरफ तो 50–55 साल पूर्व का कब्जा होना बता रहे है तथा दूसरी तरह 1985 से लेकर 1996 तक उक्त प्लॉट खरीदने बता रहे है। इससे स्वयं ही साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा आर.टी.एक्ट. 183बी लागू होने के बाद का है इस पर गौर नही किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 का उक्त भूमि पर सहमति पूर्वक 20 वर्ष पुराना कब्जा माना गया है तथा रेस्पोडेन्ट को 12 वर्ष से अधिक समय इस भूमि पर काबिज होना माना है जबकि उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को 2006 में गांव से निकालने के बाद ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा किया है इस पर गौर नही किया है। अपीलान्टस नायक जाति के व्यक्ति होने के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है रेस्पोडेन्टगण ने बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के पक्का निर्माण कार्य कर अपीलान्ट की बिना इजाजत के अवैध अतिक्रमण कर लिया है रेस्पोडेन्टगण जाट जाति के होने के कारण स्वर्ण जाति के है तथा अपना अपीलान्ट अनुसूचित जाति के है कानूनन अगर कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अनुसुचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर बिना अनुसूचित जाति के व्यक्ति की इजाजत के बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के जबरदस्ती अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेता है तो उस स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति की जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए इस पर अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 24.08.2017 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टसं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 9 व 13 ने बहस के दौरान RLW2007 ( I) पृष्ठ सं0 123, RRT2006 ( I) पृष्ठ सं0 383 एवं RRD1996 पृष्ठ सं0 350 कीनजीरें पेश कर तर्क प्रस्तुत किया कि 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद दायर करने की समय सीमा 12 साल तक ही नियत है। विवादित भूमि के खातेदार ( अपीलान्ट के पिता ) ने करीब 25 साल पहले ही अपंजीकृत दस्तावेजों से विवादित भूमि मे से छोटे–छोटे टुकडें रेस्पोडेन्ट्स एवं अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिये थे। जहां लोग काफी समय से बसे हुए है। विवादित भूमि के मौके पर बिजली–पानी की सुविधायें, सडक, राजकीय भवन आदि अवस्थित है। विवादित भूमि के मौके पर वर्तमान मे सघन आबादी बसी हुई है। मौके पर बेदखली की कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रकरण मे 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मामला नही बनता है। प्रकरण मे धारा 177 की कार्यवाही की जाकर विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किया जाकर रेस्पोडेन्ट को पट्टे दिये जावे। अपीलान्ट की अपील भी मियाद बाहर है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 14 वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत् है। स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 24.08.2017 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अ.धा. 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया था। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस तथ्य पर खारिज कर दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत वाद प्रस्तुत करने की मियाद केवल 12 वर्ष है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार से है यथा :–

1. रेस्पोडेन्टस का तर्क यहां यह रहा है कि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट अपनी खरीदशुदा भूमि जो उनके द्वारा अलग – अलग समय पर अपीलान्टस के पिता से अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदी है, पर लम्बे समय से काबिज है तथा रेस्पोडेन्टस का पुराना कब्जा रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा 12 वर्ष के बाद प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के यहां प्रस्तुत किया था जो मियाद बाहर है। अपने तर्का के समर्थन में रेस्पोडेन्टस ने नजीर RLW 2007(1)Raj 123 प्रस्तुत की जिसके अनुसार " Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 183-B – Eviction on the basis of trespass – Whether purchaser in possession of land without registered sale- deed is a trespasser? – Held – Purchaser of land on an unregistered agreement cannot be treated as trespasser. " प्रकरण में रेस्पोडेन्टस द्वारा विवादित आराजी अपंजीकृत दस्तावाजों के आधार पर क्रय की है। यहां रेस्पोडेन्टस को विवादित आराजी पर अतिचारी नहीं माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है।
2. अपीलान्ट का तर्क प्रकरण में यह रहा है कि विवादित आराजी उनके खातेदारी की भूमि है तथा अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। रेस्पोडेन्टस अपीलान्टस की खातेदारी भूमि पर अतिचारी है क्योकि रेस्पोडेन्टस स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। अपने तर्को के समर्थन में अपीलान्टस ने नजीर D.B. Special Appeal (Writ) No. 547/2012 Order dated 29.08.2012 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार " In view of the above legal proposition, since in the instant case, the sale transaction was between respondents-plaintiffs, members of Scheduled Tribe Category and appellant-defendant, members of non-scheduled tribe category, therefore, it was prohibited in view of section 42(b) of The Tenancy Act and no right, title or interest could have been conferred upon the appellant by virtue of transaction in question. Thus, the board of Revenue as well as the Single bench have rightly held that the transaction in question was void by virtue of Secton 42(b) of the Tenancy Act as the respondents-plaintiffs belong to scheduled tribe category and the appellant- defendant belongs to non-scheduled tribe category." इसी क्रम में रेस्पोडेन्टस द्वारा नजीर तथा एक अन्य नजीर RRT 2006(1) 383 के अनुसार " Rajasthan Tenancy Act, 1955 – Secs. 175, 42(b), 214 & Schedule lll, Clause 66 (As stood prior to amendment)- Suit for ejectment & possession of land – Land of members of Schedule Cast – Transfer of land in favour of persons of higher cast- Period of limitation for ejectment & possession was 12 years before amendment- Land transferred on 02-04-1964 & 04-05-1964- Application filed u/sec. 175 (4-A) on 22.11.1976- Held, Application was barred by limitation." यहां अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रासांगिक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार भी अनुसूचित जाति, जनजाति के खातेदारी भूमि का बेचान स्वर्ण जाति को किया जाना शुन्य है। परन्तु माननीय सर्वोच्य न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3152–53/1997 आदेश दिनांक 18.02.2003 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी में धारा 175–(4–ए) का सहारा लेते हुये ऐसे प्रकरणों में 12 साल की मियाद तय की है। विवादित आराजी का बेचान अंतिम बार बेचान 20.06.1996 को किया गया है तथा अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत के यहां प्रार्थना पत्र 28.04.2015 को प्रस्तुत किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मियाद से बाहर है।

3. उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्टस खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
22/12/21

( उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं